



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64801

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-5892 वर्ष 2026

लालू उर्फ लल्लू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता:

रामकांत गुप्ता, शिव शरण शर्मा, सोमेन्द्र सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. सुश्री अर्चना, अधिवक्ता, जो श्री सोमेन्द्र सिंह और श्री रामकांत गुप्ता, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के लिए बहस कर रही हैं, श्री बी.पी. सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अधीन आवेदक लालू उर्फ लल्लू की ओर से यह जमानत आवेदन योजित किया गया है, जिसमें मुकदमे की लंबितता के दौरान, थाना लोनी बॉर्डर, जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-620 वर्ष 2025, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20/29 के अधीन, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से कुछ भी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बरामद नहीं हुआ है और उसका नाम सह-अभियुक्त इमरान और हाशिम के इकबालिया बयान में आया है तथा उनके कब्जे से 210 ग्राम चरस बरामद की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त इमरान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 1776 वर्ष 2026 में 13.2.2026 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक, जो 19.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के मद्देनजर विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और उसका नाम सह-अभियुक्त इमरान और हाशिम के इकबालिया बयान में आया है तथा उनके कब्जे से 210 ग्राम चरस बरामद की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त इमरान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 1776 of 2026 में 13.2.2026 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक 19.11.2025 से जेल में निरुद्ध है।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के योग्य मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक लालू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उतनी ही राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र योजित करेगा कि जिन तिथियों पर साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उन तिथियों पर वह साक्ष्य के लिए कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”